

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परामर्श समिति का गठन

चर्चा में क्यों?

30 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहलुओं, संवेदनशील/वशिष आकस्मिक परिस्थितियों में संबंधित वषियों के नरिणय लेने वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वभिग के अंतर्गत गठति 'राज्य कंप्यूटर सकि्युरटी इंसीडेंट रसिपॉन्स टीम'के करथिकलाप एवं सुपरवजिन के लयि प्रशासनकि स्तर पर आवश्यक नीतनरिमाण, मार्गदर्शन एवं सलाह देने हेतु मुख्य सचवि की अध्यक्षता में परामर्श समति का गठन कथि।

प्रमुख बदि

- यह समति स्थायी स्वरूप की होगी। समति में सचवि इलेक्ट्रॉनकिस् एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत शासन के प्रतनिधि, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक अथवा उनके प्रतनिधि, अपर मुख्य सचवि/प्रमुख सचवि गृह, वति, प्रमुख सचवि/सचवि वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, महानदिशक सर्ट-इन प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनकिस् वकिास, वभिगाध्यक्ष (कंप्यूटर साइंस) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, एन.सी.आई.आई.पी.सी. के प्रतनिधि, राज्य सूचना अधिकारी-एन.आई.सी., महानदिशक/अतरिकित पुलसि महानदिशक राज्य साइबर पुलसि, अन्य कोई वशिषज्ज जैसा यह समति नरिणय करे सदस्य होंगे। सी.एस.आई.आर.टी. के संचालक सदस्य सचवि होंगे।
- समति द्वारा 'राज्य कंप्यूटर सकि्युरटी इंसीडेंट रसिपॉन्स टीम'के करथिकलाप की नगिरानी, उसके कार्यों की देख-रेख के लयि प्रशासनकि स्तर पर आवश्यक नीतनरिमाण, मार्गदर्शन एवं सलाह देने का कार्य कथि जाएगा।